छत्तीसगढ़ विधान सभा

क्रमांक 64

पत्रक भाग – दो

सोमवार, दिनांक 16 नवम्बर, 2026 (कार्तिक 25, 1948)

स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण सूचना तथा शून्यकाल की सूचनाओं को विधान सभा भवन में प्राप्त करने की व्यवस्था।

दिसम्बर 2026 सत्र

माननीय सदस्यों को पत्रक भाग.दो क्रमांक – 63 दिनांक 12 नवम्बर, 2026 द्वारा पूर्व में यह सूचित किया गया था कि स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण सूचना तथा नियम 267–क के अधीन दी जाने वाली सूचनाएं **मंगलवार, दिनांक 08 दिसम्बर, 2026** से कार्यालयीन दिवसों में पूर्वान्ह **11.00 बजे** से अपराह्न **04.00 बजे** तक एवं बैठक वाले दिन प्रातः 08.00 बजे से **श्री आशीष शुक्ला, उप सचिव, विधान सभा भवन नवा रायपुर, अटल नगर (कक्ष क्रमांक ए–106)** में प्राप्त करेंगे उनके अपने स्थान पर उपलब्ध नहीं होने की दशा में ये सूचनायें **श्री दिनेश शर्मा, सचिव** छत्तीसगढ़ विधान सभा प्राप्त करेंगे। **साथ ही ध्यानाकर्षण सूचना ऑनलाईन माध्यम से भी** दिये जाने की व्यवस्था **विधान सभा की बेबसाईट https://vidhansabha.cg.nic.in/MLALogin.aspx** के माध्यम से की गई है।

विधान सभा सत्र के **प्रथम दिवस के लिये** दी जाने वाली सूचनाएं प्राप्त करने हेतु माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये **कक्ष क्रमांक ए–106 प्रथम–तल** के समक्ष सूचना देने के लिये आने वाले माननीय सदस्यों तथा उनके द्वारा सूचना देने के लिये अधिकृत व्यक्तियों के लिए क्रमानुसार कुर्सियां लगी रहेंगी। इस स्थान पर विधान सभा सचिवालय के सुरक्षा कर्मी भी उपस्थित रहेंगे, जो उपरोक्तानुसार क्रम से आने वाले माननीय सदस्यों अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था देखेंगें। इस प्रकार प्रातः 08.00 बजे तक सूचना देने के लिये आने वाले माननीय सदस्यों को तथा उनके प्रतिनिधियों को क्रमानुसार टोकन उपलब्ध कराये जायेंगे और टोकन क्रमांक के क्रमानुसार माननीय सदस्यों को पूर्वान्ह 11.00 बजे सूचना देने हेतु उपस्थित रहना आवश्यक होगा।

छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम एवं उनके अधीन जारी अध्यक्ष के स्थाई आदेश क्रमशः 138 (1) एवं 22 (7–क) अनुसार **"कोई सदस्य एक बैठक के लिये दो से अधिक ध्यानाकर्षण सूचनाएं नहीं दे सकेगा तथा कोई भी सदस्य किसी एक बैठक के लिये स्थगन प्रस्ताव की एक से अधिक सूचनायें नहीं देगा।"** इस प्रकार संपूर्ण सत्रावधि में प्रत्येक माननीय सदस्य केवल **08 ध्यानाकर्षण सूचनायें एवं 04 स्थगन प्रस्ताव"** दे सकेंगें। निर्धारित सीमा से अधिक प्राप्त होने वाली सूचना स्वीकार नहीं की जाएगी।

जो माननीय सदस्य प्रथम बैठक अथवा पश्चातवर्ती बैठकों के लिये एक से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचना तथा स्थगन प्रस्ताव देना चाहेंगे, उन्हें ऐसी सूचनाओं में तिथिवार प्राथमिकता क्रम भी दर्शाना आवश्यक है।

जो माननीय सदस्य नियम 267–क के अधीन सदन की जानकारी में कोई विषय लाने के इच्छुक हों वह उस विषय को उठाने का संक्षिप्त कारण बताते हुये उसकी पूर्व सूचना निर्धारित प्रपत्र में लिखित रूप में दे सकेंगें और ऐसे विषय माननीय अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिये जाने एवं संबंधित सदस्य का नाम पुकारे जाने पर ही ऐसे समय एवं तारीख , जो माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, उठाये जा सकेगें। नियम 267–क के अधीन विषयों को उठाने के लिये कुल 10 मिनट उपलब्ध रहेंगे, जिसमें समय क्रम के आधार पर प्राप्त सूचनाओं में से 5 सूचनाओं को ही एक बैठक में उठाया जा सकेगा।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा